क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप में	विशेष विवरण
	8/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। जवाब पेश नहीं। जवाब उपस्थित। जवाब पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 16/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	16/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील प्रतिवादी सं. 3 ने जवाब ... पेश नहीं किया गया। जवाब पेश किया जा चुका है तथा प्रतिवादी सं. 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 20/5/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	20/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। समय के अभाव के कारण आदेश नहीं सुनाया जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18/6/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
	18/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का ... ... अवलोकन करने पर	

फर्द अहकाम

संगीता बनाम नन्दलाल आदि

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 116/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		वादी के वाद को स्वीकार करना उचित समझता हूँ अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर. सी. एक्ट को स्वीकार किया जाकर तथा डिक्री निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर शरह में कम हो तथा वाद रजि. दाखिल दफ्तर हो (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं०	दायर दिनांक	फैसला दिनांक
116 / 2022	09 / 09 / 2022	18 / 06 / 2024

1. समीता वर्मा पत्नि स्व० श्री पूरणमल जाति रैगर निवासी ग्राम जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान जरिये मुख्त्यारनामा योगेश्वर वर्मा पुत्र स्व० श्री पूरण मल वर्मा हाल निवासी म०नं० 119, बशीपुरी प्रथम, जगतपुरा, जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. नन्दलाल पुत्र बाबूलाल जाति खटीक, खटीकों का मोहल्ला, ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर राजस्थान।
2. गोपाल लाल पुत्र घोलाराम जाति खटीक, खटीकों का मोहल्ला, ग्राम जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।
3. बाबूलाल पुत्र कल्याण सहाय जाति गुर्जर निवासी ग्राम धाउपुरा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।
4. कल्याण सहाय गुर्जर पुत्र नागालूम जाति गुर्जर निवासी ग्राम धाउपुरा, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।
5. हनुमान गुर्जर पुत्र जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम धाउपुरा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर राजस्थान।
6. तहसीलदार जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थितअभिभाषक
श्री राजेश कुमार वर्मा :– वकील वादी।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 आर०टी०एक्ट

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी भूमि खाता सं० 136 के खसरा नम्बर 268 / 603 रकबा 0.1000है०, खसरा नम्बर 595 / 266 रकबा 0.2200है० व खाता सं० 344 के खसरा नम्बर 265 रकबा 0. 8600है०, खसरा नम्बर 268 / 605 रकबा 0.1500है० भूमि जो कि ग्राम तन जमवारामगढ पटवार हल्का जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। उक्त खातेदारी भूमि वादी की स्वयं की खातेदारी भूमि है तथा वादी उक्त कृषि भूमि की बतौर खातेदार मालीक व स्वामीनि है। चुकि वादी वृद्ध है एवं अकसर बिमार रहती है इसलिये उक्त भूमि की देखरेख व भूमि के सबंध में होने वाले विवादों के निस्तारण के लिये अपने पुत्र योगेश्वर वर्मा पुत्र स्व० श्री पूरणचन्द वर्मा को मुख्त्यारनामा आम नियुक्त कर रखा है इसलिये योगेश्वर वर्मा वादी की ओर से बतौर मुख्त्यारआम उक्त वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। प्रतिवादीगण प्रोपट्री व्यवसायी है जो भूमि खरीद फरोख्त का काम करते है। जिन्होने वादीया को विश्वास में लेकर वादीया की उक्त खातेदारी भूमि को खरीदने की इच्छा जाहिर की इस पर वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य एक बेचान इकरारनामा दिनांक 15.09.2017 को निष्पादित हुआ लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीया को भूमि को विक्रय मूल्य अदा नही किया इस पर वादीया ने जरिये अधिवक्ता विधिक नोटिस दिनांक 15.03.2021 एवं 27.04.2021 को प्रतिवादीगण को प्रेषित कर सूचित किया कि यदि नोटिस प्राप्त होने के बाद नियत समय में भूमि का विक्रय प्रतिफल की राशि वादीया को अदा करे अन्यथा इकरारनामा दिनांक 15.09.2017 निरस्त माना जावेगा। उक्त नोटिस प्रतिवादीगण को प्राप्त हो गया लेकिन प्रतिवादीगण ने उक्त नोटिस को कोई जवाब नही दिया। इसके बाद प्रतिवादीगण ने वादीया के समक्ष विक्रय प्रतिफल की राशि अदा करने में असमर्थता जाहिर की

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

एव इकरारनामा को निरस्त करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। इस प्रकार उक्त इकरारनामाप दिनांक 15.09.2017 निरस्त हो गया था एव मूल इकरारनामा दिनांक 15.09.2017 को नष्ट कर दिया था। इकरारनामा दिनांक 15.09.2017 के निरस्त होने के बाद उक्त खातेदारी भूमि वादीया एक मात्र मालिक व स्वामी चली आ रही है लेकिन प्रतिवादीगण ने षडयन्त्र उक्त रद्द इकरारनामा दिनांक 15.09.2017 की फोटो प्रति के आधार पर वादीया की उक्त खातेदारी भूमि पर आवासीय कालोनी विकसित करने का प्रयास किया जिसका ज्ञान वादिया को होने पर वादिया ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये इस्तगासा एक रिपोर्ट सं0 374/2021 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 504, 506 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में पुलिस थाना जवमारामगढ मे दर्ज कराई जो जैरे अनुसंधान है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 को पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादीगण लट्ठ के जोर पर वादीया की भूमि पर कब्जा कर लेगे एवं निर्माण करा कर वादीया को उसकी भूमि पर कब्जा कर लेगे एवं निर्माण करा कर वादीया को उसकी भूमि से बेदखल कर देगे। जिससे वादीया के मालिकाना हक व सुखाधिकार पर कुठाराघात होगा एव वादीया अपने मालिकाना हक एवं स्वामित्व की भूमि से मेहरूम हो जावेगी। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है। अतः उक्त वर्णित आराजियात भूमि खाता सं0 136 के खसरा नम्बर 268/603 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 595/266 रकबा 0.2200है0 व खाता सं0 344 के खसरा नम्बर 265 रकबा 0.8600है0, खसरा नम्बर 268/605 रकबा 0.1500है0 भूमि जो कि ग्राम तन जमवारामगढ पटवार हल्का जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है, के किसी भी कोने में किसी प्रकार की दखल अंदाजी ना तो स्वयं करे और ना ही अन्य से करावें, किसी प्रकार का कोई कच्चा-पक्का निर्माण नही कराये, ऐसा ना तो स्वयं करे ना ही अपने ऐजेन्ट सर्वेन्ट, मजदूर, परिवारजन आदी से करावें, बेचान, हस्तान्तरण नही करें। राजस्व रिकार्ड व मौके की यथा स्थित बनाये रखें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से करवाई जाकर तलब किया गया। दिनांक 03.08.2023 को प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 5 को बार-बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार प्रतिवादी किया गया। लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नही हुये। अतः प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 5 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पुष्पेन्द्र शर्मा ने दिनांक 03.08.2023 को यू0टी0 पेश की। लेकिन पत्रावली में ना तो वकालतनामा व जवाब पेश किया। अतः प्रतिवादी सं0 3 का जवाब बन्द कर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में दावें में अंकित बिन्दूओं को ताईद करते हुये निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबन्दी करने के आदेश फरमावें

वकील वादी की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध वाद पत्र, व अन्य दस्तावेजोत का अवलोकन करने पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि खाता सं0 136 के खसरा नम्बर 268/603 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 595/266 रकबा 0.2200है0 व खाता सं0 344 के खसरा नम्बर 265 रकबा 0.8600है0, खसरा नम्बर 268/605 रकबा 0.1500है0 स्थित ग्राम जमवारामगढ, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिकमण नही करे, और ना ही किसी प्रकार से कच्चा-पक्का निर्माण करें तथा किसी प्रकार से वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें उक्त कार्य प्रतिवादागण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवायें। तदनुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 18/06/2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ, जयपुर

डिक्री मुकदमा इबलाई
(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला जयपुर राज0

संगीता देवी बनाम नन्दलाल वगै0

(वाद अन्तर्गत धारा 188, वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा राज0 काश्तकारी अधिनियम)

मुकदमा नम्बर 116/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर.ए.एस. व हाजिर श्री राजेश कुमार वर्मा वकील वादी निजातिब मुदालय रूबरू वहाजीरी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि खाता सं0 136 के खसरा नम्बर 268/603 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 595/266 रकबा 0.2200है0 व खाता सं0 344 के खसरा नम्बर 265 रकबा 0.8600है0, खसरा नम्बर 268/605 रकबा 0.1500है0 स्थित ग्राम जमवारामगढ, पटवार हल्का जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में किसी प्रकार का अवैध कब्जा नही करे, किसी प्रकार का अतिक्रमण नही करे, और ना ही किसी प्रकार से कच्चा-पक्का निर्माण करें तथा किसी प्रकार से वादी के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें उक्त कार्य प्रतिवादागण ना तो स्वयं करे ना ही अपने किसी एजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवायें।

डिक्री आज दिनांक 18/06/2024 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर

मिलान स्टाप अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प		
वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत		
मिलान		

स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प		
वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबूत		
महन्ताना वकील		
खर्चा गवहान		
बबतहजराय हुक्मनागा		
मुत		
मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़, जयपुर